फर्द अहकाम

FORM NO. III

न्यायालय – सिविल न्यायाधीश, अंता,
जिला बारां (राज0)

बउनवान रामगोपाल सुमन उर्फ गोपाल बनाम अधिशाषी अभियंता वगैरह,
दीवानी वाद संख्या–56/2018,
सी0आई0एस0 नंबर–56/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2024	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 व 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त करने बाबत् दिनांकित 07.07.2023 का निस्तारण किया जा रहा है। संक्षिप्त में प्रार्थी/वादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक व्यादेश तथा सुखाधिकारों की घोषणा करने बाबत् दिनांक 12.11.2018 को संस्थित किया गया था, जहां कि उसके द्वारा उसके आधिपत्य की संयुक्त खाते की भूमि वाके ग्राम नागदा तहसील अंता में स्थित खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर के सिंचाई हेतु बने धोरे बाबत् अनुतोष चाहा गया था। उक्त दावे में, प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय समक्ष पेश आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने बहस न्यायालय से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 6 ता 7 द्वारा बाउण्ड्रीवॉल करने से प्रार्थी/वादी का धोरा बाउंड्रीवाल के अन्दर ले लिया गया है। उक्त बाउंड्रीवाल स्थित भूमि ख.नं. 931 रकबा 0.10 हैक्टेयर जो अप्रार्थी क्रम 8 के नाम दर्ज है कि पैमाईशी मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है। इसलिए तहसीलदार अन्ता को मौका कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर आऊटलेट 28 से मौके पर बने हुए धोरों की वस्तुस्थिति तथा ख.नं. 931 रकबा 0.10 हैक्टेयर की पैमाईशी माफ व मौके पर स्थित भूमि की चौतरफा भिन्नता लाल स्याही से दर्शाते ..... 2 पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुये, पैमाईशी मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाने से प्रतिवादीगण के मध्य सुखाधिकार प्राप्त धोरे पर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कर तहसीलदार अन्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त कर खसरा नंबर 10 रकबा 0.10 हैक्टेयर की पैमाईशी मौका रिपोर्ट अभिलेख में प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्राप्त की गयी जहां कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र का खंडन करते हुये दौराने बहस न्यायालय से निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित करने एवं साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधिक प्रावधानों का परिशीलन किया गया।

हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत पेश किया गया है जहां कि न्यायालय के पास किसी प्रकरण के सुगम निस्तारण हेतु विवाद संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त है। हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय समक्ष दिनांक 07.07.2023 को पेश किया गया है। वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत है। यह कि पत्रावली साक्ष्य वादी के प्रक्रम में, दिनांक 16.01.2020 से नियत चली आ रही है परंतु वादी पक्ष द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। ऐसे में प्रथमदृष्ट्या यह प्रार्थना पत्र अत्यंत विलंब से पेश किया गया है। विलंब के संबंध में, प्रार्थी/वादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण अपनी बहस में नहीं दिया गया है।

जैसा कि उपरोक्त वर्णित है कि हस्तगत प्रकरण में मूल विवाद प्रार्थी/वादी के आधिपत्य की भूमि की सिंचाई हेतु बने धोरे के संबंध में है। न्यायालय के विनम्र मत में, उक्त धोरे बाबत् संपूर्ण तथ्य को प्रमाणित करने का भार पूर्णतया प्रार्थी/वादी पक्ष पर ही है। यह कि उक्त भार से निर्मुक्त होने हेतु उसके द्वारा स्वयं साक्ष्य पेश किया जाना अनिवार्य है। वह इस कार्य हेतु न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है।

..... 3 पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस संबंध में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **NIHACHALDAS VS. KAVITA KARAMCHANDANI AND ORS LAWS(RAJ)-2013-12-160** सुसंगत है जहां कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न मार्गदर्शन दिया गया है – **Order 26 Rule 9 CPC provides that court can appoint a commissioner for local investigation, inter alia for the purpose of elucidating any point in dispute. Thus the court may issue a commission to a person if it thinks fit that directing an inspection and a report thereon would help clear the cobweb and facilitate a just decision. Order 26 Rule 9 CPC, to my mind confers discretion on the trial court for the appointment of a commissioner for local inspection when clarity in the matter in dispute is wanting from the evidence of the parties to the dispute. `Elucidation' as a word in English language connotes the purpose of clarifying, what is otherwise opaque. The discretionary power vested in the court under Order 26 Rule 9 CPC is not to aid any of the parties to the dispute by collecting evidence for and on behalf of a party nor can the court enter into the arena of the battle between the parties before it.** उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रकाश में, प्रार्थी/वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मय कागजात शामिल पत्रावली हो। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। **सिविल न्यायाधीश** **अंता, जिला बारां राज.**	